सचिव, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 02 दिसम्बर 2025 को आहूत उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (यूएलएमएमसी) की कार्यकारिणी समिति की तृतीय बैठक का कार्यवृत्त।

सचिव, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (यूएलएमएमसी) की कार्यकारिणी समिति की तृतीय बैठक दिनांक 02 दिसम्बर 2025 को प्रातः 11:00 बजे यूएसडीएमए भवन, 36 आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़ के राज्य आपदा परिचालन कक्ष में आयोजित की गई।

बैठक में प्रतिभाग हेतु सभी सदस्यों को आमंत्रण पत्र यूएलएमएमसी के कार्यालय पत्रांक 427/08/ULMMC/2024–25, दिनांक 19 नवम्बर 2025 के माध्यम से ससमय प्रेषित किए गए थे।

बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही –

1.	श्री आनन्द स्वरूप	अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन/अपर महानिदेशक, यूएलएमएमसी देहरादून।	सदस्य सचिव
2.	डॉ. आनन्द श्रीवास्तव	अपर सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
3.	श्रीमती गरिमा रौंकली	अपर सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
4.	श्री राजेन्द्र सिंह पतियाल	संयुक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य/प्रतिनिधि
5.	श्री शिव स्वरूप त्रिपाठी	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य/प्रतिनिधि
6.	श्री अभिषेक कुमार आनन्द	वित्त नियंत्रक, यूएलएमएमसी देहरादून।	सदस्य
7.	श्रीमती सोनिया पंत	उपनिदेशक, शहरी विकास विभाग, देहरादून	सदस्य/प्रतिनिधि
8.	डॉ. शान्तनु सरकार	निदेशक, यूएलएमएमसी देहरादून।	–

सदस्य सचिव, कार्यकारिणी समिति, यूएलएमएमसी/अपर सचिव, आपदा प्रबंधन द्वारा उपस्थित सदस्यों का औपचारिक स्वागत करते हुए, अध्यक्ष की अनुमति से बैठक का शुभारम्भ किया गया। तत्पश्चात्, यूएलएमएमसी के बाइलॉज के अनुसार कार्यकारिणी समिति की तृतीय बैठक हेतु आवश्यक गणपूर्ति (कोरम) पूर्ण होने पर समिति के समक्ष विचार–विमर्श एवं अनुमोदनार्थ निम्नलिखित बिन्दुवार एजेण्डा प्रस्तुत किए गए:–

एजेण्डा संख्या–1:	यूएलएमएमसी के बाइलॉज में संशोधन।
एजेण्डा संख्या–2:	यूएलएमएमसी मानव संसाधन पॉलिसी।
एजेण्डा संख्या–3:	यूएलएमएमसी हेतु सूचना के अधिकार के अंतर्गत स्थापित संरचना पर कार्योत्तर स्वीकृति।
एजेण्डा संख्या–4:	यूएलएमएमसी हेतु स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर नियुक्ति।
एजेण्डा संख्या–5:	यूएलएमएमसी के वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 की बैलेंस शीट।
एजेण्डा संख्या–6:	अध्यक्ष की सहमति से अन्य आवश्यक बिन्दु।

कार्यवृत्त

बैठक के निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण के लिए निदेशक, यूएलएमएमसी ने अध्यक्ष की अनुमति से सर्वप्रथम समिति को केन्द्र के गठन के उद्देश्यों, अब तक पूर्ण किये गये कार्यों और वर्तमान में गतिमान कार्यों की जानकारी समिति को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रस्तुत की गयी।

उक्त प्रस्तुति पश्चात् यूएलएमएमसी को अपने कार्य विस्तार के लिए शासनादेश संख्या 1103/XVIII-B/2024–15(25)2021 दिनांक 25 अक्टूबर 2025 के माध्यम से यूएलएमएमसी की और तकनीकी क्षमताओं एवं प्रदान की जाने वाली सेवाओं हेतु निर्धारित दरों के अनुसार विभिन्न सम्बन्धित विभागों को अवगत कराने एवं उनके साथ अनुभव साझा किये जाने हेतु बैठकें आयोजित करने का सुझाव दिया। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से भी राज्य/राष्ट्रीय स्तर के विभागों/संस्थाओं को सेवाओं हेतु निर्धारित दरों से सम्बन्धित पत्र प्रेषित किया जा सकता है।

<u>एजेण्डा संख्या–1:</u>

यूएलएमएमसी के बायलॉज में संशोधन।

यूएलएमएमसी के बायलॉज में संशोधन द्वितीय कार्यकारिणी समिति एवं गवर्निंग बॉडी में प्रस्तुत किया गया तदोपरान्त पुनः विधिक परामर्श हेतु विधिक में प्रस्तुत किया गया जिसमें विधिक द्वारा बायलॉज के कतिपय बिन्दुओं को पुनः संशोधित एवं विलोपित किया गया है जोकि समिति के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित कर पारित करने हेतु **संलग्न** है।

<u>एजेण्डा संख्या–2:</u>

यूएलएमएमसी मानव संसाधन पॉलिसी (HR Policy) पर विचार–विमर्श

यूएलएमएमसी मानव संसाधन पॉलिसी के अंतर्गत यात्रा भत्ता पोलिसी पर विचार कर समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि यात्रा एवं दैनिक भत्ता राज्य वित्त विभाग द्वारा निर्धारित दरों से अधिक नहीं होना चाहिए। अतः इस पॉलिसी को निम्न बिन्दुओं के आलोक में तैयार कर पुनः प्रस्तुत किया जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

- यूएलएमएमसी द्वारा प्रस्तुत मानव संसाधन पॉलिसी के सापेक्ष समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त पॉलिसी में समस्त नई भर्ती कार्मिकों हेतु Induction कार्यक्रम के लिए एक न्यूनतम अवधि का प्रावधान किया जाए। अतः प्रस्ताव में संशोधन कर गवर्निंग बॉडी के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

- उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप वित्त (वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7 संख्या 18/XXVII(7)/18-50(14)/2017 दिनांक 23 जनवरी, 2019 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ही यात्रा भत्ता स्वीकृत कर देय होंगे। उक्त कार्यालय ज्ञाप के अन्य समस्त प्रावधान भी समान रूप से यूएलएमएमसी हेतु प्रभावी रहेंगे। इस आदेश में समय–समय पर होने वाले संशोधन भी समान रूप से यूएलएमएमसी हेतु प्रभावी किये जायेंगे। इस कार्यालय ज्ञाप के प्रावधानों के अतिरिक्त चारधाम यात्रा अवधि/आपदा की स्थिति में भ्रमण पर निर्धारित दैनिक भत्ते एवं अवस्थापना भत्ते की दर पर अधिकतम 50 प्रतिशत तक की अतिरिक्त राशि सचिव अथवा अपर सचिव की संस्तुति के आधार पर अनुमन्य होगी।

- अध्यक्ष द्वारा यह भी निर्देश दिया कि यात्रा एवं दैनिक भत्तों से संबंधित संशोधित प्रस्ताव को गवर्निंग बॉडी की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

- यूएलएमएमसी में कार्यरत समस्त कार्मिकों को वर्तमान में देय मानदेय में वार्षिक वृद्धि के सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्देशित किया गया है कि आगामी समय में इस पर सकारात्मक रूप से विचार कर प्रभावी करने का आश्वासन दिया गया।

<u>एजेण्डा संख्या–3:</u>

यूएलएमएमसी हेतु सूचना के अधिकार के अंतर्गत स्थापित संरचना पर कार्योत्तर स्वीकृति।

- यूएलएमएमसी को सूचना का अधिकार 2005 के अधीन रखा गया है इस सम्बन्ध में केन्द्र के अंतर्गत सूचना के अधिकार के मामलों के निस्तारण हेतु अधिकारियों को नामांकन इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी कार्यालय आदेश संख्या 225/35/ULMMC/2024–25 दिनांक 25.07.2025 पर स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>एजेण्डा संख्या–4:</u>

यूएलएमएमसी हेतु स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्ति।

- समिति द्वारा यूएलएमएमसी हेतु स्वीकृत पदों के सापेक्ष आवश्यक पदों पर नियुक्ति किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

<u>एजेण्डा संख्या–5:</u>

यूएलएमएमसी के वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 हेतु बैलेंस शीट।

- उच्च अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के क्रम में यूएलएमएमसी की वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं वर्ष 2024–25 हेतु तैयार की गयी बैलेंस शीट एवं आय–व्ययक विवरण वित्त नियन्त्रक, यूएलएमएमसी द्वारा कार्यकारिणी समिति के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया। विवरण निम्नवत् है –

  वित्तीय वर्ष 2023–24 कुल प्राप्त धनराशि रू. 845.00 लाख के सापेक्ष 22 प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 2024–25 कुल प्राप्त धनराशि रू. 365.82 लाख के सापेक्ष 69 प्रतिशत तथा वित्तीय 2025–26 में कुल प्राप्त धनराशि रू. 463.67 लाख के सापेक्ष नवम्बर 2025 तक 40 प्रतिशत प्रगति प्राप्त की गयी है।

<u>एजेण्डा संख्या–6:</u>

अध्यक्ष की सहमति से अन्य आवश्यक बिन्दु।

- यूएलएमएमसी हेतु BIS द्वारा गुणवत्ता प्रबन्धन प्रणाली (QMS) से सम्बन्धित प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यालय को IS/ISO 9001:2005 प्रमाणित करवाने हेतु इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी कार्यालय आदेश संख्या 370/32/ULMMC/2025–26 दिनांक 24 अक्टूबर 2025 पर स्वीकृति प्रदान की गई।

- वर्तमान में Geologist एवं Geophysicist हेतु निर्धारित वर्तमान मानदेय के अनुसार केन्द्र में पूर्व में कार्यरत Geologist एवं Geophysicist के मानदेय वृद्धि पर विचार–विमर्श किया गया। कालान्तर में आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 205/XVIII-(B-2)/22-05(UDRP-AF)/2021 दिनांक 14 मार्च, 2022 द्वारा Geophysicist के पद हेतु मानदेय रू0 1,20,000.00 प्रतिमाह तथा Geologist के हेतु मानदेय रू0 80,000.00 प्रतिमाह निर्धारित है, किन्तु इस केन्द्र के विज्ञापन संख्या ULMMC/Recruit/01/2023 दिनांक 24 जून, 2023 द्वारा जारी विज्ञप्ति में Geophysicist प्रतिमाह मानदेय रू0 35,000.00 से 1,50,000.00 तथा Geologist का प्रतिमाह मानदेय रू0 35,000.00 से 80,000.00 निर्धारित कर विज्ञप्ति जारी की गयी। Geophysicist तथा Geologist की नियुक्ति प्रक्रिया एवं चयन उक्त

जारी विज्ञप्ति के माध्यम से होने के दृष्टिगत प्रतिमाह मानदेय रू0 55,000.00 पर नियुक्ति प्रदान की गयी।

वर्तमान में इस केन्द्र के अन्तर्गत अन्य समकक्ष विशेषज्ञों को लगभग मानदेय रू0 70,000–90,000 प्रतिमाह देय है। अतः कार्यकारिणी समिति के उपस्थित समस्त सदस्यों द्वारा विचार–विमर्शोंपरान्त अध्यक्ष की सहमति से Geologist एवं Geophysicist के पदों पर कार्यरत विशेषज्ञों का मानदेय रू0 70,000/– प्रतिमाह निर्धारित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी है।

अंत में अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन किया गया।

संलग्नकः यूएलएमएमसी हेतु संशोधित बॉयलॉज।

(आनन्द स्वरूप)
सदस्य सचिव/अपर महानिदेशक
यूएलएमएमसी, देहरादून/
अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन

अनुमोदित

(विनोद कुमार सुमन)
अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति,
यू.एल.एम.एम.सी.,देहरादून/
सचिव, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (यू.एल.एम.एम.सी.), देहरादून, उत्तराखण्ड।
6वां तल, यू.एस.डी.एम.ए. भवन, 36 आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

संख्या–/473/08/यू.एल.एम.एम.सी./2025–26 देहरादून, दिनांक 10 दिसम्बर, 2025

<u>प्रतिलिपि</u>– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषितः–

1. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. सचिव, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
10. वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केन्द्र, देहरादून।
11. निदेशक, यू0एल0एम0एम0सी0, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

(आनन्द स्वरूप)
सदस्य सचिव/अपर महानिदेशक
यूएलएमएमसी, देहरादून।